2012:CGHC:3836:-

DB

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : **माननीय श्री अभय मनोहर सप्रे न्यायाधीश और**

माननीय श्री जी. मिन्हाजुददीन न्यायाधीश

रिट याचिका (सी) संख्या 1382 / 2012

याचिकाकर्ता : सोनिका पांडे

बनाम

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ शासन और अन्य

और

रिट याचिका (सी) संख्या 6282 / 2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : कु. अंशिता बाजपेयी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ शासन और अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट याचिका

उपस्थित :- अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा साथ में अधिवक्ता सुश्री सुनिता जैन और अधिवक्ता श्री संदीप दुबे

अधिवक्ता याचिकाकर्ता सोनिका पांडे की ओर से ।

अधिवक्ता श्री प्रकाश तिवारी अधिवक्ता याचिकाकर्ता कु. अंशिता बाजपेयी की ओर से।

अधिवक्ता श्री किशोर भादुडी अतिरिक्त महाधिवक्ता राज्य/ उत्तरवादी की ओर से।

आदेश (मौखिक)

(दिनांक 28 सितम्बर, 2012 को पारित)

श्री अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) रिट याचिका (सी) संख्या 1382/2012 में दिए गए निर्णय का अनुप्रयोग एक अन्य संबद्ध रिट याचिका अर्थात् रिट याचिका (सी) संख्या 6282/2011 के निस्तारण पर भी होगा क्योंकि दोनों रिट याचिकाओं में समान मुद्दे विद्यमान हैं।

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस रिट याचिका को दाखिल करके, याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा नियम, 2011 (संक्षेप में "नियम 2011" कहा जाएगा) के नियम 5(5) के व्याख्या-(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहता है, या वैकल्पिक रूप से, उसकी उचित व्याख्या चाहता है ।

(3) आक्षेपित प्रावधान इस प्रकार है:-

स्पष्टीकरण – (3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग आरक्षण का लाभ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र / पुत्री एवं पौत्र / पौत्री को ही मिलेगा ।

(4) इस याचिका में शामिल प्रश्न दोहरा है। पहला, क्या स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री का पुत्र/पुत्री आयुष चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा (बीएएमएस) स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने में स्वतंत्रता सेनानी कोटे का लाभ पाने का हकदार है या ऐसा लाभ केवल उनके पुत्र के पुत्र/पुत्री तक ही सीमित होना चाहिए और दूसरा, जब राज्य ने निर्विवाद रूप से पीएमटी

पाठ्यक्रमों में दोनों को ऐसा लाभ दिया है, तो क्या राज्य पर यह अनिवार्य है कि वह ऐसा लाभ सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में विस्तारित करे?

(5) तथ्यात्मक विवाद एक संकीर्ण दायरे में है क्योंकि यह नीचे वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है:-

(6) याची सोनिका पांडेय स्वर्गीय श्री राम निहाल शुक्ला, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, की पुत्री की पुत्री हैं। उन्होंने वर्ष 2012 के लिए आयोजित आयुष चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम की परीक्षा दी और इसमें उत्तीर्ण घोषित की गईं। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, चूंकि वह स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री राम निहाल शुक्ला की पुत्री की पुत्री हैं और इसलिए, स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के लिए निर्धारित कोटे के तहत प्रवेश पाने की हकदार थीं। हालाँकि, रिट याचिकाकर्ता का दावा उत्तरवादीगण /राज्य प्राधिकारियों द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यह लाभ केवल स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र के पुत्र और पुत्रियों के लिए उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में, याची के मामले को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि क्योंकि वह एक स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री की पुत्री हैं और इसलिए, स्वतंत्रता सेनानी के कोटे का लाभ पाने की हकदार नहीं हैं। इसी अस्वीकृति के विरुद्ध, याची ने अपने को व्यथित महसूस किया और स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी में उनकी उम्मीदवारी पर विचार के लिए उसकी अस्वीकृति को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) याचियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने शुरुआत में ही हमारा ध्यान इस ओर दिलाया कि यही मुद्दा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष डॉ. धनराम सिंगरोले और अन्य बनाम सीजी राज्य और अन्य, 2005(1) सीजीएलजे 58 के मामले में विचारार्थ आया था, जहाँ विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आपत्ति को निरस्त किया और इन्हीं शब्दों की व्याख्या करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री का पुत्र/पुत्री भी इसका लाभ पाने के हकदार हैं। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, एक बार राज्य इस व्याख्या को स्वीकार कर लेता है और पी.एम.टी. प्रवेश के संबंध में लंबे सात वर्षों तक इसे लागू भी करता है, तो अन्य पाठ्यक्रमों में ऐसे लाभ से इनकार करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि राज्य की ओर से ऐसे लाभ को केवल पी.एम.टी. पाठ्यक्रम तक सीमित रखने और अन्य पाठ्यक्रमों, जैसे कि जिसमें याचियों ने आवेदन

किया है, में विस्तारित न करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। दूसरे शब्दों में, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, राज्य तब एक ही मुद्दे के लिए दो अलग-अलग सिद्धांत लागू नहीं कर सकता और सभी पाठ्यक्रमों में इसके लाभ को विस्तारित करने के लिए एक समान नीति लागू करनी चाहिए।

(8) राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने इस स्थिति पर विवाद नहीं किया कि राज्य ने डॉ. धनराम सिंगरोले (उपर्युक्त) के मामले में की गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया है और पी.एम.टी. में प्रवेश के संबंध में आवश्यक संशोधन करके इसे लागू भी किया है। उनकी केवल यही दलील थी कि जहाँ तक प्रश्नगत नियम का संबंध है, वह बीएएमएस पाठ्यक्रम के लिए है और इसलिए, पीएमटी नियमों की व्याख्या लागू नहीं हो सकती।

(9) दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और मामले के अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, हम इन रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से नीचे दर्शाए अनुसार स्वीकार करने के पक्ष में हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) हमने डॉ. धनराम सिंगरोले (उपर्युक्त) के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया है, जहाँ विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस दावे की व्याख्या करते हुए इसे राज्य के विरुद्ध इस प्रकार निर्णीत किया:-

> 8. अब उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा उठाए गए प्रश्न पर आते हैं कि चूंकि याची संख्या 2 स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र का पुत्र नहीं है, इसलिए, वह लाभ का हकदार नहीं है। इस प्रयोजन के लिए विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि नियम हिंदी में प्रकाशित हैं और कानूनी शब्दकोश के अनुसार पौत्र का अर्थ पुत्र का पुत्र होता है और पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। यदि हम स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों और पोते-पोतियों के लिए आरक्षण बनाने के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर गौर करें, तो यह दर्शाता है कि यह आरक्षण इस कारण बनाया गया था कि स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और सरकारी तंत्र द्वारा मारे गए या स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में फांसी पर लटकाए गए या 1919 से 1946 की अवधि के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में सरकारी तंत्र द्वारा चोट के परिणामस्वरूप अपनी

आजीविका कमाने के लिए स्थायी रूप से अक्षम हो गए, क्योंकि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और वे स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए थे, इसलिए, वे अपने बच्चों की देखभाल करने में सक्षम नहीं थे, इस प्रकार यह आरक्षण उपनिवेशवादी शासन से देश की मुक्ति में उनके बलिदान और योगदान को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था। यह एम.पी. प्री-मेडिकल परीक्षा, 1973 के नियम 6 के उपनियम (3)(ख) के अवलोकन से परिलक्षित होता है। इस नियम में यह आगे परिकल्पित किया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जो प्रमाणित करता हो कि उम्मीदवार के माता-पिता/दादा-दादी एक स्वतंत्रता सेनानी हैं/थे और उनका नाम जिले में रखे गए स्वतंत्रता सेनानियों के रजिस्टर में है। नियमों में यह आगे उल्लेख किया गया है कि सरकार का निर्णय कि क्या कोई विशेष व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के अंतर्गत आता है या नहीं, अंतिम होगा। वेबस्टर की तीसरी लॉ इंटरनेशनल डिक्शनरी, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश के अवलोकन से पता चलता है कि ग्रैंडसन का अर्थ है - किसी व्यक्ति के पुत्र या पुत्री का पुत्र। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार ग्रैंडचाइल्ड का अर्थ है पुत्र या पुत्री का बच्चा। इसलिए, अंग्रेजी अर्थ के अनुसार पुत्री का पुत्र या पुत्री भी पोते-पोतियों की श्रेणी में शामिल है, नियम 4 के उपनियम (5) के स्पष्टीकरण-4 के अनुसार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह निर्धारित करता है कि इस संबंध में कलेक्टर द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और उस प्रमाण पत्र को अंतिम माना जाएगा। वर्तमान मामले में संबंधित कलेक्टर ने याची संख्या 2 (अनुलग्नक पी-16) के पक्ष में एक प्रमाण पत्र जारी किया है जो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कोटे के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार बनाता है, इसलिए, उत्तरवादी क्रमांक 4 इस मामले के इस पहलू को चुनौती देने का हकदार नहीं है। यह सरकार पर छोड़ देना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानी के किन बच्चों को लाभ के लिए हकदार होना चाहिए। यहाँ तक कि अन्यथा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भी, आरक्षण के पीछे का सिद्धांत यह है कि स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों और पोते-पोतियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री के बच्चों को किसी भी सिद्धांत पर बाहर नहीं किया जा सकता और एक तरह से, यदि ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो वह निर्णय लिंग-पक्षपाती होगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। एक पुत्री के पिता के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण, पुत्री ने भी पुत्र के समान ही कष्ट भोगे या अक्षमता प्राप्त की, इसलिए, इस आधार पर भी उत्तरवादी क्रमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति टिकाऊ नहीं है।

(11) हमारे विचारित मत में, राज्य शैक्षणिक क्षेत्र में प्रवेश देते समय ऐसे खंड का लाभ देने के लिए अलग-अलग मापदंड लागू नहीं कर सकता। वास्तव में, अलग-अलग मापदंड लागू करने का कोई न्यायसंगत कारण नहीं हो सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) खंड के पीछे का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में जन्मे बच्चों को लाभ विस्तारित करना है, जिन्होंने अपनी युवावस्था में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह अनिवार्य रूप से उनके परिवार के सदस्यों के लिए पुरस्कार की प्रकृति में है। कोई भी उनके (स्वतंत्रता सेनानी) पुत्र के पुत्र/पुत्री और पुत्री के पुत्र/पुत्री के बीच कोई अंतर संभवतः नहीं कर सकता क्योंकि, दोनों स्वतंत्रता सेनानी के पोते-पोतियाँ हैं जिन्हें वह बिना कोई भेदभाव किए समान प्यार और स्नेह देता है। उनके लिए दोनों सभी मामलों में समान हैं।

(13) हर प्रथा में, माता-पिता का यह पवित्र दायित्व होता है कि वे अपनी पुत्री का विवाह करें जो अपने माता-पिता के परिवार से बाहर चली जाती है। वास्तव में, उसके विवाह के बाद भी, वह अपनी माँ और पिता के साथ अपने रक्त संबंध बनाए रखती है।

(14) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पुत्री को जन्म से ही परिवार के अन्य सदस्यों के समान यह अधिकार देता है कि वह अपने पिता/माता की निश्धसन संपत्ति में हिस्से का दावा कर सकती है। उत्तराधिकार अधिनियम पुत्र और पुत्री के बीच, जहाँ तक उनके माता-पिता की

संपत्ति में समान हिस्से के दावे के संबंध में उनके संबंधित अधिकारों का प्रश्न है, कोई अंतर नहीं करता। पुत्री का यह अधिकार उसके विवाह के बाद भी बरकरार रखा जाता है।

(15) जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा धनराम सिंह के मामले (उपर्युक्त) में ठीक ढंग से नोट किया गया है, ग्रैंड सन शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है - पुत्र का पुत्र या/और पुत्री का पुत्र। इसलिए, हमें खंड का लाभ लेने के लिए स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री के पुत्र/पुत्री को बाहर करने के पीछे कोई तर्क नहीं मिलता, जो शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में केवल इसलिए वरीयता देता है क्योंकि वह उनकी पुत्री का पुत्र/पुत्री है और इसे केवल उनके (स्वतंत्रता सेनानी के) पुत्र के पुत्र/पुत्री तक सीमित करता है। जब कोई ऐसा कानून नहीं बताया गया है जो किसी व्यक्ति के पुत्र और विवाहित पुत्री के बीच, उनके माता-पिता के संबंध में, किसी प्रकार का अंतर दर्शाता हो, तो हम यह समझने में असफल हैं कि राज्य वर्तमान मामले में यह सूक्ष्म अंतर कैसे ला सकता है। हमारी राय में, ऐसा बहिष्करण संविधान के अनुच्छेद 15 में निहित उद्देश्य को समान रूप से विफल कर देगा, जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने में सक्षम बनाता है। यदि एक ओर, संविधान राज्य को किसी भी क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष लाभ प्रदान करने में सक्षम बनाता है ताकि उन्हें समाज में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि इसे बिना किसी उचित औचित्य के आंशिक रूप से छीना जा रहा है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(16) इस प्रकृति के मामले में, हमारा विचार है कि राज्य को यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि क्या स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के किसी परिवार के सदस्य ने 'ए' श्रेणी के शैक्षणिक पाठ्यक्रम या 'बी' श्रेणी के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आवेदन किया है। हमारी राय में, इसका उस उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है जिसके लिए ऐसा लाभ देने वाला खंड अधिनियमित किया गया है और न ही उसके/उसकी आवेदन करने के अधिकार का निर्णय करते समय इसका कोई महत्व है। इसके अलावा, एक बार जब राज्य सिद्धांत रूप में ऐसे खंड के लाभ को दोनों अर्थात स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र और पुत्री और उनके संबंधित बच्चों तक विस्तारित करने का निर्णय लेता है, धनराम के मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या को स्वीकार करके, तो एक आवश्यक परिणाम के रूप में, इसका लाभ सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में विस्तारित किया जाना चाहिए, चाहे

संकाय की प्रकृति कोई भी हो। राज्य को यह याद रखना चाहिए कि लाभ विस्तारित करने का उद्देश्य किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना नहीं है बल्कि यह प्रकृति में सामान्य है।

(17) ऐसे उम्मीदवार का विशेषाधिकार है कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी पसंद के किसी भी प्रवाह/पाठ्यक्रम/संकाय में आवेदन करे। ऐसे मामले में, राज्य को केवल यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के तहत आवेदन करने वाला उम्मीदवार उस संबंध में बनाए गए नियमों की आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र या पुत्री या पोता या पोती है और दूसरा, क्या उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है जो उसे प्रवेश लेने में सक्षम बनाती है। एक बार जब ये आवश्यकताएं संबंधित उम्मीदवार द्वारा सिद्ध हो जाती हैं, तो वह किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम में प्रवेश सुरक्षित करने के लिए निर्धारित स्वतंत्रता सेनानी कोटे के लाभ का दावा करने के योग्य हो जाता है।

(18) हमारी राय में, इसलिए, यहाँ राज्य की कार्रवाई का आकलन करने में तार्किकता के सिद्धांत का अनुप्रयोग आता है। इस संबंध में, हम विद्वान न्यायाधीश विवियन बोस के उन शब्दों का उल्लेख करना उपयुक्त समझते हैं जो माननीय न्यायाधीश ने द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार और अन्य, ए.आई.आर. 1952 एससी 75 के मामले में अपने उत्कृष्ट सहमतिपूर्ण मत में यह टिप्पणी करते हुए किए थे कि राज्य की कोई भी कार्रवाई जो नागरिक के अधिकारों को प्रभावित करती है, यदि या तो अतार्किक या मनमानी पाई जाती है, तो यह अनुच्छेद 14 की कठोरता को आकर्षित करती है और न्यायालय को इसकी वैधता एवं शुद्धता की जाँच करने का अधिकार देती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) इसी कारण से, हम नहीं पाते कि इसे केवल एक संकाय (पीएमटी) पर लागू करने और अन्य संकाय में विस्तारित न करने के पीछे कोई तर्कसंगतता थी।

(20) इसलिए, हमारे विचार में, उपर्युक्त उद्धृत प्रश्नगत खंड को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए था कि यह रिट याचिकाकर्ता को बीएएमएस कोटे में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि राज्य ने यह विवादित नहीं किया कि रिट याचिकाकर्ता स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री की पुत्री है और उनकी पोती होने के नाते खंड के तहत प्रवेश सुरक्षित करने के लिए अन्य आवश्यकताओं को सिद्ध करने के अधीन बीएएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए स्वतंत्रता सेनानी कोटे का लाभ प्राप्त करने की हकदार है।

(21) पूर्ववर्ती चर्चा के आलोक में, हम दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में और याचीकाकर्ता के पक्ष में देते हैं।

(22) चूंकि हमने नियम की याची के पक्ष में व्याख्या की है और इसलिए यह प्रश्न कि यह अधिकार-क्षेत्र से बाहर है या भीतर है, अब विचारार्थ नहीं उठ सकता। इस प्रकार इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

(23) हम तदनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आशा बनाम पी.टी. बी. डी. शर्मा विश्वविद्यालय ऑफ हेल्थ साइंसेज और अन्य, (2012) 7, एससीसी 389 के मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, उत्तरवादीगण को निर्देश देते हैं कि वे रिट याचिका (सी) संख्या 1382/2012 के याची के मामले पर विचार करें, जो अन्यथा चालू शैक्षणिक सत्र के लिए विचार के योग्य पाई जाती हैं क्योंकि बार में कहा गया था कि दूसरी काउंसलिंग अभी होनी है और उनकी योग्यता (जो प्रवेश देने के सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है) के आधार पर, उचित आदेश पारित करें। जहाँ तक रिट याचिका (सी) संख्या 6282/2011 की रिट याचिकाकर्ता का संबंध है, वह 2011-12 शैक्षणिक सत्र की उम्मीदवार थीं और इसलिए उनके मामले पर उत्तरवादीगण द्वारा विचार करने के लिए उनके पक्ष में कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता। हालाँकि, उन्हें भविष्य में इस व्याख्या का लाभ प्राप्त करने का हकदार माना जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(24) तदनुसार और पूर्ववर्ती चर्चा के आलोक में, रिट याचिकाएं सफल होती हैं और आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

(25) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नही दिया जाता है ।

(26) मूल आदेश रिट याचिका (सी) संख्या 1382/2012 के अभिलेख में रखा जाएगा और उसी की प्रति एक अन्य संबद्ध रिट याचिका (सी) संख्या 6282/2011 के अभिलेख में रखी जाएगी।

सही/-
अभय मनोहर सप्रे
न्यायाधीश

सही/-
जी. मिन्हाजुददीन
न्यायाधीश

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"

Translated By Yashpal Singh.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur